राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1512/2013/जयपुर
2. अपील संख्या – 2158/2013/जयपुर
3. अपील संख्या – 2159/2013/जयपुर
4. अपील संख्या – 2160/2013/जयपुर
5. अपील संख्या – 2161/2013/जयपुर
6. अपील संख्या – 2162/2013/जयपुर

मैसर्स हिन्दुस्तान बिजनेस कम्प्यूटर्स,
तिलक मार्ग, जयपुर. .....**अपीलार्थी**

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त–I, अलवर. ...**प्रत्यर्थी**

7. अपील संख्या – 507/2014/जयपुर
8. अपील संख्या – 508/2014/जयपुर
9. अपील संख्या – 509/2014/जयपुर
10. अपील संख्या – 510/2014/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त–I, अलवर.....**अपीलार्थी**

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान बिजनेस कम्प्यूटर्स,
तिलक मार्ग, जयपुर. ...**प्रत्यर्थी**

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री नेहा सेठी,
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 18.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा छः (1–6) अपीलें एवं विभाग द्वारा चार (7–10) अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 25, 55 एवं 61 तहत् पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. समस्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि उसके द्वारा LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आदि का क्रय–विक्रय किया जाना पाया गया। इस संबंध में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा माल का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण पाये गये स्टॉक का लेखा पुस्तकों से सत्यापन हेतु अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की, जिसकी जांच करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) के विक्रय पर 4/5 प्रतिशत से वैट वसूल किया गया है, जबकि उन पर सामान्य कर दर से कर देयता मानते हुए अन्तर कर 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत का आरोपण निम्न तालिकानुसार किया जाना मानते हुए अभियोग बनाकर

निरन्तर.....2

पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् अभियोग बनना पाया जाकर व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रस्तुत नोटिस की पालना में व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने पृथक–पृथक आदेशों द्वारा अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया एवं कर, ब्याज को यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर व्यवसायी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर यह प्रथम छः (1–6) अपीलें एवं विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर द्वितीय चार (7–10) अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		कर निर्धारण आदेश का विवरण		कर बोर्ड के समक्ष विवादित		
		अपील संख्या	आदेश दिनांक	वर्ष	आदेश दिनांक	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति धारा–61
1.	507/2014 व 2158/2013	281	19.09.2013	2007–08	23.10.2012	93,728	1,87,456	56,237
2.	508/2014 व 2159/2013	282	19.09.2013	2008–09	23.10.2012	1,03,014	2,06,028	49,447
3.	509/2014 व 2160/2013	283	19.09.2013	2009–10	23.10.2012	1,38,246	2,76,492	49,769
4.	510/2014 व 2161/2013	285	19.09.2013	2011–12	23.10.2012	1,57,808	3,15,616	28,829
5.	2162/2013	324	19.09.2013	2012–13	23.10.2012	51,527	1,03,054	3,092
6.	1513/2013	281	10.05.2013	2010–11	23.10.2012	1,62,207	3,24,414	38,930

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) अधिनियम की सूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 68 से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण इस पर कर दर 4/5 प्रतिशत होगी। उन्होंने कथन किया कि LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आई.टी. प्रोडक्ट्स हैं, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसका विक्रय किया जाता है तथा इनके बिना कम्प्यूटर का नेटवर्किंग सिस्टम नहीं चल सकता है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर अविधिक रूप से 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के

निरन्तर.....3

अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य थी एवं यह अधिनियम की अनुसूची पंचम से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1819/2013/जयपुर में पारित निर्णय राशि पैरिफेरल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 10.04.2018 उद्धरित किया। जिसमें प्रश्नगत माल CAT-5 & CAT-6 केबल को सामान्य कर दर से करयोग्य माना गया है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि व्यवसायी द्वारा सभी बहियात को लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया है, उनके द्वारा कोई भी कृत्य छुपाया नहीं गया। इस कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 VST 249 SC** को उद्धरित करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का शास्ति के बिन्दु पर समर्थन करते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1819/2013/जयपुर **राशि पैरिफेरल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सीटीओ, निर्णय दिनांक 10.04.2018** में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि CAT-5 & CAT-6 केबल्स "computer peripharals" की श्रेणी में नहीं आते हैं लिहाजा इन पर Schedule-V के अनुसार residual rate से कर दायित्व है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी CAT-5 & CAT-6 केबल्स की कर दर को विवादित किया गया है एवं उक्त बिन्दु ऊपर संदर्भित किये गये खण्डपीठ के निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है, अतः यह निर्धारित किया जाता है कि प्रश्नगत माल 'CAT-5 & CAT-6 केबल्स' पर वैट अधिनियम की Schedule-V के अनुसार residual rate से कर की देयता है। इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं।

7. जहॉ तक अधिनियम धारा 61 के तहत् शास्ति आरोपण का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित की जाने वाली शास्ति के अन्तर्गत व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण तब किया जा सकता है जब व्यवहारी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के सभी संव्यवहारों को अपने नियमित लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया गया है एवं उनके द्वारा आलौच्य अवधियों के किसी भी संव्यवहार को अपने नियमित लेखा–पुस्तकों अथवा विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों से छुपाया नहीं गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कही भी यह सिद्ध नहीं किया गया कि व्यवहारी द्वारा कर चोरी की मनोभावना से सर्विस टैक्स को विक्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया है। इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय के सीटीओ बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 42/2014 निर्णय दिनांक 26.08.2014 एवं श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 VST 249 SC** में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति भी विधिसम्मत एवं उचित नहीं है।

निरन्तर.....4

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलार्थी विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। इस प्रकार शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने अपना अपीलीधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार इन अपीलों में विवादित अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

18/04/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य